Date
20/04/2020

Subject - समकालीन भारत और शिक्षा

B.Ed. Ist year
Period - Ist

विश्वविद्यालय स्वायत्तता के क्षेत्र

कोठारी आयोग के अनुसार वि०वि० को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए।

1. → प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के चयन में — (whom to teach) किसको पढ़ाया जाये इस सम्बन्ध में स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए।

2. → अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में — (who to teach) कौन पढ़ाये इस संबंध में भी वि०वि० को स्वायत्तता हो।

3 → पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण विधियों के निर्धारण में — (what to teach and How to teach) क्या पढ़ाया जाये और कैसे पढ़ाया जाये - इस सम्बन्ध में वि०वि० को पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए।

अन्य :- शोधक्षेत्र, परीक्षा एवं मूल्यांकन विधियों के क्षेत्र में भी।

विश्वविद्यालय स्वायत्तता के स्तर

कोठारी आयोग ने वि०वि० स्वायत्तता को कार्य रूप देने के लिए निम्न तीन स्तरों का वर्णन किया है —

1). विश्वविद्यालय में स्वायत्तता (Autonomy within University)

2). विश्वविद्यालय तन्त्र के सन्दर्भ में स्वायत्तता (Autonomy within the university System)

3). बाह्य संस्थाओं के सन्दर्भ में स्वायत्तता (Autonomy in Relation to outside Agencies)

20-04-2020 10:36

1.] विश्वविद्यालय मे स्वायत्तता :- वि० वि० मे स्वायत्तता का अर्थ वि० वि० के शैक्षिक विभागो, सम्बद्ध महाविद्यालयो, शिक्षको और छात्रों आदि की स्वायत्तता से है। वि० वि० मे शैक्षिक विषयों में वास्तविक शक्ति विषय विभागों के हाथ मे होनी चाहिए। अन्य अशिक्षित लोगो से इसका कोई सम्बन्ध नही होना चाहिए। सभी आर्थिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ स्वतन्त्र रूप से अन्य शैक्षिक विभागो के पास होनी चाहिए।
शैक्षिक मामलों को शैक्षिक परिषदों द्वारा सम्पन्न किया जाये। विभागों एवं कॉलिजों के अध्यापक उनमे विषयो के अनुसार प्रतिनिधित्व करें। छात्रो का भी उचित प्रतिनिधित्व हो। प्रशासनिक अधिकारियो का शैक्षिक कार्यों मे कोई हस्तक्षेप नही होना चाहिए। शैक्षिक परिषद् मे समस्त शैक्षिक कार्यों पर निर्णय लेने की अन्तिम शक्ति हो। वह पूर्ण स्वतन्त्रता से कार्य करें।

2.] विश्वविद्यालय तन्त्र के सन्दर्भ मे स्वायत्तता :- वि० वि० तन्त्र के संदर्भ मे स्वायत्तता का अर्थ एक वि० वि० का दूसरे वि० वि० से, उसका (UGC) से तथा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड (IUB) से सम्बन्धित स्वायत्तता से है। प्रत्येक वि० वि० को स्वतः ही अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का सदस्य बनने का अधिकार होना चाहिए और उसके द्वारा प्रदत्त सभी उपाधियाँ सभी वि० वि० के द्वारा मान्य होनी चाहिए। प्रत्येक वि० वि० (UGC) से आर्थिक सहायता पाने का अधिकारी होना चाहिए। और (UGC) जैसी संस्थाओ से मुक्त होना चाहिए। वि० वि०, (UGC) व IUB सभी अपना-अपना कार्य करें एक दूसरे के कार्यों मे हस्तक्षेप न करें।

*UCG को व आर्थिक स्थिति के कारण ज्ञान के प्रसारण में
वि० वि० को परस्पर सहयोग से कार्य करना चाहिए।

(3) बाह्य संस्थाओं के सन्दर्भ में स्वायत्तता :- बाह्य संस्थाओं से तात्पर्य केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों से है। शिक्षा समवर्ती सूची में है, अतः केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों का ही वि० वि० से सम्बन्ध है। केन्द्रीय वि० वि० का प्रत्यक्ष सम्बन्ध केन्द्र से होता है व मानव संसाधन विकास मन्त्रालय उसको आर्थिक सहायता देता है व नियन्त्रण रखता है। राजीय वि० वि० में कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और राज्य का उच्च शिक्षा मंत्रालय उनकी देखरेख करता है। अतः बाह्य संस्थाओं के सन्दर्भ में स्वायत्तता का अर्थ यही है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, व नेता, वि० वि० के शैक्षिक कार्यों में हस्तक्षेप न करें, कुलपतियों की नियुक्ति का आधार राजनैतिक न होकर शैक्षिक होना चाहिए।

वर्तमान भारत में वि० वि० स्वायत्तता की स्थिति

वर्तमान में वि० वि० की स्वायत्तता की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। वि० वि० व वि० वि० से सम्बन्धित संस्थाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकारों के नियन्त्रण में ही रहकर कार्य करती है। वि० वि० के कुलपति व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। आर्थिक पक्ष भी वित्त अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार के अधिकार में रहता है। अतः आवश्यकता है कि वि० वि० को पूर्ण स्वायत्त संस्था घोषित किया जाये। तब ही वि० वि० राष्ट्र के सर्वोत्तम विकास में योगदान कर सकेंगे।

Nidhi Tyagi
20/04/2020

Complete

20-04-2020 10:40